



राष्ट्रीय संगोष्ठी मत्स्य परिसंस्करण का वर्तमान एवं भावी स्वरूप

[19-20 दिसम्बर, 2003]



केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान

(भा.कृ.अनु.प., समतुल्य विश्वविद्यालय)

वरसोवा, मुंबई - 400 061

संगोष्ठी में प्रस्तुत लेखों / पत्राचारों का संकलन

प्रकाशक एवं संगोष्ठी निदेशक	-	डा.सुभाष चन्द्र मुखर्जी निदेशक केन्द्रीय मात्स्यकी शिक्षा संस्थान वरसोवा, मुंबई 400061
संयोजक	-	डा.एस.बासु, वरिष्ठ वैज्ञानिक
संगोष्ठी समन्वयक	-	डा.एम.के.चौकसे, तकनीकी अधिकारी
संगोष्ठी सचिव	-	श्री रा.प्र.उनियाल, सहायक निदेशक (रा.भा.)
संपादकीय समिति	-	श्री प्रताप कुमार दास, तक. अधिकारी (हिन्दी) कु.रेवती धोंगडे, हिन्दी अनुवादक (टी-4) श्रीमती स्मिता कोली, वरिष्ठ लिपिक श्रीमती अनघा जोशी, कनिष्ठ लिपिक
मुद्रक	-	प्रिंट एन ग्राफ, मुंबई
प्रकाशन तारीख	-	19 दिसम्बर 2003

मत्स्य परिसंस्करण का वर्तमान एवं भावी स्वरूप

राष्ट्रीय संगोष्ठी

19-20 दिसम्बर, 2003

(संगोष्ठी में प्रस्तुत लेखों/सारांशों का संकलन)



(Handwritten signature in red ink)



केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान

(भा.कृ.अनु.प., समतुल्य विश्वविद्यालय)

वरसोवा, मुंबई - 400 061

38. मातृ उत्पाद विकास हेतु मधुआरा सोसायटी के लिए संगठनात्मक निर्माण प्रणाली

एस.एन.ओझा, अर्पिता शर्मा, श्याम एस.सलीम एवं रेखा नायर
केन्द्रीय मातृ शिक्षा संस्थान,
वरसोवा, मुंबई 400061

प्रस्तावना

महिला व्यवसाय अनुसंधान केन्द्र (सेंटर फॉर वुमेन्स बिजनेस रिसर्च), संयुक्त राज्य अमेरिका, ने यह अनुमान लगाया कि 2002 में संयुक्त राज्य (यू.ए.स.) के निजी संस्था की तुलना में महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले निजी संस्था का विकास दुगुना पाया गया (14 प्रतिशत 1/7 प्रतिशत)। इन संस्थाओं से मिलने वाला विक्रय लगभग 5.15 ट्रिलियन रहा। इसमें 1997 के बाद 40 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। इति अवधि में इस संस्थानों में काम करने वालों की संख्या 39 प्रतिशत बढ़ गई (राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 1.5 दर) एवं 9.2 मिलियन लोगों को व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया गया।

भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु बनाए गए राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत हमारे कानून, विकास नीति योजना तथा विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान हेतु कई कार्यक्रमों को बनाने आदि को सम्मिलित किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-78) के दौरान देश में महिलाओं के कल्याण से विकास तक के विभिन्न विषयों में काफी बदलाव देखा गया। हाल ही के कुछ वर्षों में महिलाओं की स्थिति को पहचानने के लिए महिला सशक्तता को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। 1990 में संसद द्वारा एक अधिनियम जारी किया गया है जिसमें राष्ट्रीय महिला आयुक्त की स्थापना, महिलाओं के अधिकार व कानूनी अधिकारी को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। संविधान के 73 वें व 74 वें संशोधन (1993) के अनुसार पंचायती व नगरपालिका के क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण तथा क्षेत्रीय स्तर पर निर्णय लेने में भी उनको महत्व दिया जा रहा है।

तटवर्ती मातृ की में महिलाओं को प्रोत्साहित करना

तटवर्ती मातृ से जुड़ी महिलाएं सामान्य रूप से तीन कार्यों में लगी हुई है। वे इस प्रकार है - प्रग्रहण- परिसंस्करण, व्यवसाय, परिसंस्करण-व्यवसाय व प्रग्रहण-व्यवसाय (वरस्ट्रोलन के एवं इतबोर 1997)। हालांकि यहां संस्कार व वर्गभेद तो बहुत पाया जाता है। महिला मातृ संसाधनों पर आहार, काम, आय व पहचान हेतु निर्भर रहती है। इसके बावजूद भी इन संसाधनों व धन पर महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का अधिकार अधिक रहता है। मातृ प्रबंध व

मात्स्यिकी संरक्षण का महिला पर होने वाले प्रभाव को बहुत कम देखा जाता है। निसबी.एल. (1996) को लगा कि मछुआरा महिलाओं द्वारा मछली की उपभोक्ता का अध्ययन, महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र है। राधाकृष्णन एन. (1994) के अनुसार उन्होंने मछुआरा महिलाओं के महत्व को जाना व तमिलनाडू में मछुआरा महिलाओं की सोसायटी का संगठन करना बहुत आवश्यक समझा। हमारे देश की ग्रामीण महिलाओं ने हमेशा उत्पादन व ग्रामीण आर्थिकी क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। इसके बावजूद उन्हें कृषि क्षेत्र में नजरअंदाज कर दिया जाता है व इनकी स्थिति हमेशा दयनीय रही है। केरल के पारंपारिक मात्स्यिकी क्षेत्र में महिलाएं जो जनसंख्या के 49 प्रतिशत (बच्चों को मिलाकर) इस कार्य से जुड़े हुए हैं, की भी दयनीय स्थिति है। वे इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते व बदलना चाहते हैं। इनके बदलाव के लिए एक कार्य यह किया जा सकता है कि वे अपने को-ऑपरेटिव सोसायटी की स्थापना करें व उसके माध्यम से कार्य कर सकते हैं। मत्स्य फेड एक को-ऑपरेटिव फेडरेशन है जो महिलाओं के उत्थान के नए-नए परियोजना आदि तैयार कर उन्हें सहायता प्रदान करता है। (नायर एम, 1988)

कुछ देशों से प्राप्त जानकारी यह दर्शाती है कि महिलाएं कुछ हद तक सही मायने में मछली पकड़ने के कार्यों में लगी हुई हैं। नाइजेरिया में मछली के प्रयोग में आने वाले उपकरणों को चलाने में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है। महिलाएं तट से दूर की अपेक्षा तट के पास अधिक काम करती हैं। वर्तमान अध्ययन में मत्स्य प्रग्रहण में पुरुष मछुआरों का डाटा इकठ्ठा किया गया है क्योंकि मछुआरा महिलाओं का डाटा इकठ्ठा करना अभी संभव नहीं है क्योंकि पारंपारिक रिवाजों के अनुसार आज भी महिलाओं विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को अजनबी व्यक्तियों से बात करने नहीं दिया जाता है। इस हेतु मछली की पकड़ के अनुमान लगाने के लिए मछुआरा पुरुषों के पकड़ को बहिवेशन करना पड़ता है।

भारत के संदर्भ में समुद्री मात्स्यिकी विकास योजना पहले तटवर्ती मछुआरों के विकास पर महत्व देता है। मछली पकड़ने को सम्मिलित प्रयासों से उपलब्ध मछलियों का परिसंस्करण व मार्केटिंग (व्यवसाय) में मछुआरा महिलाओं की सहायता से मछुआरों अपने घरों की स्थिति को सुधार सकते हैं, पर इस हेतु इस क्षेत्र की आर्थिक-सामाजिक स्थिति को विकसित करने में एक लम्बा समय लग सकता है। इसमें फायदा होने वाले लोगों को फसलोत्तर तकनीकी जैसे मछली का रखरखाव की विधि आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों को हस्तांतरित कर सकते हैं। जिनको इससे फायदा है उनके निम्न स्तर के शिक्षा को देखते हुए इनके लिए मूल्य निर्धारित परिसंस्करण उपकरण, समन्वित मात्स्यिकी परियोजना का विकास तथा प्रचलित कम मूल्य के तकनीकी, आदि को तैयार किया गया है। इनका उपयोग तटीय मछुआरा महिलाएं स्वरोजगार के लिए कर सकती हैं। (नायर एम.के.आर. गिरीजा एम. 1998)

मछुआरा समुदाय में सामान्य रूप से ये महिलाएं मात्स्यिकी संबंधी कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जैसे मछली को सूखाना, मछली बेचना, झोंगा को साफ करना व दिलाना, संचयन, मछली का वर्गीकरण, मत्स्य पैकिंग तथा नेट बनना आदि। मात्स्यिकी क्षेत्र में नए तकनीकी के

मत्स्य परिसंस्करण का वर्तमान एवं भावी स्वरूप

विकास से मछुआरा महिलाओं के रहन-सहन व आर्थिक-सामाजिक स्थिति में काफी सुधार आया है। देश में मशीनीकृत जहाजों के द्वारा सम्मिलित मत्स्य जवतरण के कारण छोटे स्तर पर मछली बेचने वालों को रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आधुनिकता के परिणाम स्वरूप हाथों द्वारा बनाए गए जालों का स्थान अभी मशीनों द्वारा बने जालों ने ले लिया। योगना बनाने वाले मात्स्यिकी क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका की तरफ कोई ध्यान नहीं देते है। (त्रिती एम.एन. 1998)

केरला व तमिलनाडु के दो नमूना अध्ययन के दौरान मछुआरा महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों का औसतन प्रतिशत 53.0 व 48.0 देखा गया। इन दोनों नमूनों में यह पाया गया कि एक गांव से दूसरे गांव में इन कार्यों में बहुत विभिन्नता पाई गई है। मछुआरा महिलाओं द्वारा निभाए गए मुख्य भूमिका तथा इसके लिए खर्च किए गए समय का मूल्यांकन किया गया। केरला के मछुआरा महिलाएं मछली बेचने व मछली परिसंस्करण, वहीं पर तमिलनाडु की मछुआरा महिलाएं मछली के जाले बनाने में लगी हुई है।

महिला मात्स्यिकी विकास परियोजना (डब्ल्यू.एफ.डी.एस.) के लिए मुख्यतः फंड केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य मछुआरा समुदायों का मात्स्यिकी के क्षेत्र में क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर मात्स्यिकी विकास कार्यों में अधिक सहयोग देने महिलाएं जो समुद्री आहार परिसंस्करण तथा व्यवसाय तथा पर्यावरणीय तकनीक तथा समुद्री संसाधनों का उपयोग आय अर्जित करने के लिए करती है, को अच्छे अवसर प्रदान करना, इसके जलावा इन महिलाओं को प्रशिक्षण देना तथा लघु उद्योग से आय अर्जित करने के अवसर तथा महिलाओं की सहायता के लिए मात्स्यिकी परियोजना को बनना है। बदकिस्मती से मई 1992 में महिला मात्स्यिकी परियोजना अधिकारी (डब्ल्यू.एफ.पी.ओ.) का पद रिक्त हुआ जिससे यह पता चला कि कई परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया। मई 1991 से मई 1992 के दौरान पापुआ न्यूगिनिा में महिलाओं को सहायता हेतु मात्स्यिकी परियोजना तैयार किया गया। फंड का कमी के कारण फरवरी 1992 तक यह पद रिक्त रहा। (डब्ल्यू.एफ.डी.ओ.) के नियुक्ति से डब्ल्यू.एफ.डी.पी. को पुनः स्थापित किया गया लेकिन इसे फसलोत्तर अनुभाग से हटाकर महिला मात्स्यिकी विकास अनुभाग (डब्ल्यू.एफ.डी.एस.) में रखा गया। इसका कारण मात्स्यिकी क्षेत्र में अधिक महिलाएं भाग ले सकें। इस क्षेत्र के विकास हेतु अभी कई प्रयास किए जाने आवश्यक है।

अनुभव

केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान ने प्रारंभिक कार्य के तौर पर ग्रामीण परिस्थितियों के आधार पर कम मूल्य वाले मछली के उत्पाद से उत्पादन की संभावनाएं विषय पर एक परियोजना लिया है जिसका मुख्य उद्देश्य गांव के व्यवसाय में पाई जाने वाली भिन्नता, विकास हस्तक्षेप की पहचान तथा इसका उपयोग करने वालों की संख्या पर कार्य करना है। इस संस्थान ने कुछ मूल्य अर्जित किए जाने वाले उत्पाद, व्यर्थ हो रहे मछली से बनाए जैसे झींगा जावार, मत्स्य चापड़, मत्स्य चकली तथा मत्स्य आचार आदि। यह देखा गया कि मछुआरा महिलाओं द्वारा इसका उत्पादन व

विक्रय से न केवल उपभोक्ताओं में चैष्टिकता के स्तर बल्कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि पाई जाएगी। इसी के साथ ही पर्यावरण में इन व्यर्थ मछलियों से होने वाली समस्याओं का निदान होगा। इस तरह के कार्य अनुसंधान में तीन कार्य होता है - तकनीकी हस्तांतरण, संगठन का विकास व व्यवसाय पद्धति। परियोजना समय के साथ-साथ निम्नलिखित अवस्थाओं के अंतर्गत बढ़ रहा है।

व्यापार-प्रसार

श्री राम नाईक जी, पेट्रोलियम मंत्री, भारत सरकार के वसई तालुका, थाणे जिला महाराष्ट्र के दौरे के दौरान मछुआरों को तकनीकी के नए अवसरों से अवगत कराने हेतु एक प्रदर्शनी लगाई गई। श्री राम नाईक जी ने अपने भाषण के दौरान इस प्रदर्शनी पर विशेष महत्व दिया। इसके बाद एन.जी.ओ. सागर पुत्र, जो तटीय क्षेत्रों के सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है, ने व्यर्थ हो रहे मछलियों से मूल्य प्राप्त होने वाले उत्पाद को बनाने में अपनी रुचि दिखाई। इसके बाद, इनसे 20 मछुआरा महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह की स्थापना करने को कहा गया। प्रारंभ में इस समूह से रु.1000/- सामान्य फंड के रूप में देने को कहा गया।

प्रशिक्षण

इस बीच इस ग्रुप हेतु, दिनांक 30.4.01 से 5.5.01 तक कछ मूल्य अर्जित किए जाने वाले उत्पाद पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम ने मछुआरा महिलाओं को इस उत्पाद के बारे में कई जानकारी प्रदान की गई। हालांकि इस उत्पाद को बेचने के संबंध में थोड़ी शंकाएं थी। लेकिन नियमित चर्चा के द्वारा उन्हें समझाया गया कि व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलने से इस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। विभिन्न अवसरों जैसे मेमिनार तथा प्रदर्शनियों में इन्हें विक्रय पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कदम था महीं स्थान का चुनाव करना।

संरचनात्मक सुविधाएं

इसके बाद, काफी जगह व रोड के पास होने के कारण, एन.जी.ओ. के नेता के घर को उत्पादन स्थल हेतु चुना गया। हालांकि जिस रुम को उत्पाद विकास तथा संचयन के लिए चुना गया, स्वास्थ्यकर आवश्यकताओं को देखते हुए उत्तरी मरम्मत करना अत्यंत आवश्यक था। एक डीप फ्रीजर को भी ठीक करना था। आवश्यक रूप से किए जाने वाले मरम्मतों पर सुझाव देने हेतु वैज्ञानिकों का एक दल दिनांक 5.8.01 को उस स्थान पर गया। इस मरम्मत को करने के लिए मछुआरा महिलाओं ने सभी सदस्यों से रु.10,000/- का योगदान देने के लिए कहा। इसी बीच प्रौद्योगिकी, सूचनात्मक, पूर्वानुमान तथा मूल्यांकन परिपद, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली से अनुदान व ऋण के लिए संपर्क स्थापित किया गया।

उत्पाद के क्षेत्र में परीक्षण

मछुआरा महिलाओं द्वारा दिए गए अंशदान से उत्पादन की शुरुआत करने हेतु मत्स्य कार्य शुरु किया गया। विशेषज्ञों को दिनांक 30.8.01 को इस क्षेत्र के निरीक्षण के लिए बुलाया गया। एक बार फिर इन महिलाओं ने इन विशेषज्ञों के सम्मुख उत्पाद को बनाया। उसे पकाने की विधि भी समझाई गई। इसके बाद महिलाओं ने कई परीक्षण किए। केन्द्रीय मात्स्य शिक्षा संस्थान ने इन उत्पादन के गुणवत्ता का मूल्यांकन किया। व्यवसायिक प्रयास की शुरुआत में क्षेत्रीय गांवों से आम-पास के शहरों तथा वहां से महानगरों व अन्य जगहों में फैलाने का प्रयास किया गया। इस मछुआरा महिला गुप को मत्स्यगंधा महिला गृह उद्योग तथा उत्पादक सहकारी लिमिटेड के रूप में पंजीकृत भी किया गया।

टाइफेक के साथ नेट बॉकिंग

इसी बीच दिनांक 10.10.2001 को टाइफेक, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली से कंपनी शेयर (रु.3 लाख), टाइफेक से (रु.3.0 लाख) तथा (रु.4.0 लाख) का अनुदान व ऋण हेतु संपर्क स्थापित किया गया। 5000 कि.ग्रा. प्रति साल उत्पादन क्षमता की परिकल्पना, उत्पादन का प्रति यूनिट मूल्य रु.300/- कि.ग्रा. विक्रय मूल्य की वार्षिक उत्पादन क्षमता रु.18.00 लाख निर्धारित किया गया तथा मुनाफा 20% रखा गया। इस संगठन का पता, सचिव मत्स्यगंधा महिला गृह उद्योग व उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड के पास है। वर्तमान में इस संस्था का मुख्य उद्देश्य मछुआरा महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु क्षेत्रीय रूप से उपलब्ध मछली तथा कृषि संबंधी कार्यों द्वारा उन्हें स्वराजगार दिलाना तथा ऐसे तटवर्ती क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित कर मछुआरा महिलाओं में जागृति उत्पन्न करना है।

नए परिसंस्करण के भवन का उद्घाटन दिनांक 18 जनवरी 2003 को पद्म विभूषण डा.आर.चिदंबरम्, अध्यक्ष, प्रौद्योगिकी सूचनात्मक, पूर्वानुमान तथा परिषद, भारत सरकार द्वारा किया गया। इसके बाद से व्यवसायिक दृष्टि से प्रयास किए जा रहे हैं। मछुआरा महिला इस उत्पाद को घर-घर जाकर व एजेंटों की सहायता से विक्रय कर रही है।

संगठनात्मक निर्माण पद्धति

ऊपर दिए गए संगठन की जानकारी देने से पहले शोध टीम ने प्रारंभिक सर्वे किया। सोसायटी के 50 सदस्यों ने 40 सदस्यों को सर्वे के दौरान चुना गया व यह पाया गया कि काम करने वाली महिलाओं को दो तरह की जिम्मेदारी होती है एक घर व दूसरा कार्य स्थान पर। महिला व्यवसाय संगठन का निर्माण करते समय उनके घरेलू जिम्मेदारियों जो विवाह, आयु, शिक्षा व परिवार के अनुसार बदलती रहती हैं इसका ध्यान रखना होगा। अंत में पारिवारिक जिम्मेदारियों

को देखते हुए नेताओं को महत्व देते हुए उन्हें संगठन के कार्यों को करने हेतु कहा गया। इसके परिणाम को सारांशित कर नीचे दिया गया है।

आयु

मुख्यतः सदस्यों की आयु 34 वर्ष (सारणी 1) पाई गई। अधिकतर महिलाएं 20-40 के बीच की थीं। यह वह आयु है जब महिलाएं विवाह करती हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं व समुराल में रहती हैं।

विवाह स्तर

इसी के साथ विवाह का स्तर भी देखा गया जिसमें लगभग 30 सदस्य विवाहित तथा 15 सदस्य अविवाहित पाए गए (सारणी 2)।

शिक्षा

सदस्यों के शिक्षा स्तर में यह देखा गया कि इनकी शिक्षा सामान्य रूप से अच्छी है। 35% दसवीं पास व कुछ स्नातकोत्तर पाए गए (सारणी 3)। आज लकड़ियों की शिक्षा लड़कों की अपेक्षा अच्छी है। हालांकि महिलाओं को आज भी विवाह व घर की देख-रेख करने में प्राथमिकता दी जाती है। आज कुछ वर्षों पूर्व की अपेक्षा शिक्षित व कामकाजी महिला को सम्मान जाने लगा है।

स्वामित्व स्तर

इस क्षेत्र में महिलाएं हमेशा से ही पीछे रही हैं। इसलिए 30 सदस्यों ने इस विषय पर कुछ कहना पसंद नहीं किया जिन्होंने कुछ कहा उन्होंने यह बताया कि उनके घर, एक नाम पर न होकर या तो वह पिता, भाई, पति या बेटे के नाम पर है।

संपत्ति को लेकर अधिकतर घरों में लड़ाई होती है जिसमें हमेशा महिला को ही बलिदान करना पड़ता है। देश के कई भागों में महिलाओं का खुद का घर या जमीन होता है की तुलना में महिला जिनका अपना घर या जमीन नहीं होता को सालोंमाल शारिरिक के यातनाओं को सहना पड़ता है। कई बार इस संपत्ति के चलते लम्बी यातना के दौरान महिला को घर भी छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ने का प्रतिशत संपत्ति रहित महिला की तुलना में संपत्ति वाले महिलाओं का अधिक होता है। हो सकता है कि वे लौट कर आए पर वे अपने संपत्ति से वंचित हो जाती हैं। संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार पुरुषों का ही रहा है।

मत्स्य परिवर्तनकारण का वर्तमान एवं भावी स्वरूप

परिवार के प्रकार

यह देखा गया कि अधिकतर प्रत्यर्थी न्युक्लिअर परिवार और 1/4 संयुक्त परिवार में रहते हैं। महिलाओं को बाहर जाने का मौका परिवार में काम कम रहने पर मिलता है। कई-अपनी बेटियों की शादी संयुक्त परिवार में करना चाहती हैं ताकि काम का भार उस पर न पड़े व सभी लोगों में बंटा रहेगा। कहीं बहुओं का स्तर सभी संयुक्त परिवार में अच्छा नहीं होता है।

नेतृत्व की भूमिका

नेतृत्व की भूमिका के महत्व का अध्ययन भी किया गया और देखा गया कि एक अच्छा नेता उपलब्ध साधनों का उपयोग कर कच्चे माल से एक अच्छा उत्पाद तैयार कर रहा है। विशेषतः मानव संसाधनों का उपयोग कर, इसके मूल्यांकन के लिए सदस्यों को अपने नेता का चुनाव निम्नलिखित के आधार पर करने को कहा गया - रोज के कार्यों को देने का निर्णय, रिकार्ड का रखरखाव, पासबुक रखने व लेखा संबंधी रिकार्ड का रखरखाव, नियमित बैठक करना तथा उत्पाद का व्यवसाय आदि।

चित्र 2 के अनुसार 40 प्रत्यर्थी सदस्यों ने 11 मछुआरा महिलाओं को विभिन्न कार्यों के लिए चुना गया। सोसायटी ने एक मछुआरा महिला को अन्य कार्यों के अलावा विशेष कार्य के लिए चुना। अध्ययन को 7 प्रकार के कार्यों में वर्गीकृत किया गया। अध्यक्ष के बैठकों को आयोजित करना तथा लेखा/पास बुक का रखरखाव आदि। ऐसा करने से सभी लोग पूरी तरह से उस पर निर्भर रहेंगे। इसलिए अन्य नेताओं को प्रबंध कार्यों में सम्मिलित करना आवश्यक है ताकि कार्यों जैसे रिकार्ड रखना, उत्पाद विकास, विक्रय तथा व्यवसाय आदि पर ध्यान दिया जा सके।

कार्यों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि काम देने व बैठक बुलाने आदि का सोसायटी के अध्यक्ष व सचिव संगीता को दिया जाए। अगर वह नियमित रूप से बैठकें बुलाती तो उस पर काफी काम का बोझ होगा, इसे कम करने के लिए कार्यों को सभी में वितरित करना होगा। इस हेतु उन्हें कार्यों को सीखाना होगा। इसके अलावा महिलाओं को उत्पाद बेचने व कच्चे माल खरीदने में समस्या उत्पन्न हो रही है। परिवहन पद्धति जो आज भी पुरुषों के हाथ में है, उनसे बात कर यह कार्य करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह समस्या विकसित देशों में भी पाई जा रही है।

निष्कर्ष

महिला को मशक्त बनाने के लिए निर्णय लेने व संपत्ति में अधिकार के अलावा आर्थिक स्वतंत्रता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक रूप से सक्षम बनने हेतु महिलाओं को उत्पादन तथा

